न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 42/2021 बउनवानी हरिप्रसाद मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री प्रेमचन्द मीना निवासी क्वाटर नम्बर–86 टाईप–3, जीएसआई कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर,

GCMS No-2021/83 **On line Appeal No- 321415807298852**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

14.7. 2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.1.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. स्व.श्री मांगीलाल(मांग्या) पुत्र स्व0 श्री श्रीचन्द खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 64 ग्राम नीदडदा तहसील सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये कुऐं के मार्ग के दस्तावेज/नक्शा जो पिछले समय मे तहसीलदार द्वारा अनुमोदित किए गये थे एक प्रति उपलब्ध करावे।
2. सभी संबंधित दस्तावेज कुऐं का रिकार्ड खाता संख्या 4 ख0न0 64 स्वामित्व बटवारा।
3. कुआ भैरू जी की डूंगरी के लिए उस सम्पर्क मार्ग पर स्व0 श्री मांगीलाल मीना द्वारा किये गये सभी पत्र व्यवहार। मुख्य सड़क गांव नींदडदा तह0 सवाईमाधोपुर
4. मुख्य सड़क से कुआ को जोडने वाले खसराओं का विवरण जिससे स्वीकृत सड़क गुजरती है। यह कुआ अब श्री अमरचंद,प्रेमराज,रामकिशन पुत्रान स्व. मांगीलाल मीना के नाम पर है ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक /एल.आर/सूकाअ/2021/4122 दिनांक 5.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2021 मे चाही गयी सूचना 3 पृष्ठों (ख0न0 64 का नक्शा ट्रेस,जमाबन्दी, व खसरा गिरदावरी) की तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 3336 दिनांक 28.4.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.1.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 [illegible] 4 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा प्रार्थना पत्रों की दिनांक अंकित न होने के कारण अपीलान्ट क्या सूचना चाहता है स्पष्ट नही हो रहा है किन्तु तहसीलदार द्वारा ग्राम नीदडदा के ख0न0 64 की जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी सहित कुल 3 पृष्ठों की [illegible] अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में [illegible] अपीलान्ट खारिज [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:36 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर